

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 55 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. लाल बाबू पुत्र स्व0 तुलाराम नि0 मंगरे पुरवा दत्तनगर माफी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 243 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. स्वामीनाथ पुत्र बाँके नि0 दलपतपुर खटिकनपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 295 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामफेर पुत्र घुरहू नि0 महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 342 / 20, 02. अनीस कुमार पुत्र राम बुझावन नि0 बल्लीपुर डीहा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 343 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मुन्ना लाल पुत्र टहलू सोनकर नि0 सोनी कपूर मौजा सोनी हरलाल थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 606 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जुग्गू पुत्र सालिकराम नि0 तिवारीपुरवा मौजा उपाध्यायपुर ग्रण्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 288 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

बलवा व मारपीट करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस ने बलवा व मारपीट करने के वांछित अभियुक्त विपुल सिंह पुत्र आनन्द कुमार सिंह नि0 सेहरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को थाना वजीरगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0- 114 / 20, धारा 147.148.323.452.504.506.188 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने वादिनी श्रीमती नीतू शर्मा पत्नी राम अवतार नि0 सेहरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा व जान से मारने की धमकी दी थी । जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना वजीरगंज में उक्त आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें वजीरगंज पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

थाना धानेपुर पुलिस ने दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

गोण्डा । मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर पुलिस ने दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त मेला राम पुत्र श्रीराम शर्मा नि० बूढी बगिया दत्तनगर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को थाना धानेपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 219 / 20, धारा 376.506 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने थाना धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म किया था तथा जान से मारने की धमकी दी थी । जिसके संबंध में पीड़िता द्वारा थाना धानेपुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें धानेपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना को०नगर पुलिस ने मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्तों – 01.मनोज कुमार दुबे पुत्र शिव कुमार दुबे नि० हारीपुर, 02. गोलू दुबे पुत्र दीपू दुबे नि० भट्टा परेड सरकार थाना को०नगर जनपद गोण्डा को थाना को० नगर पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 593 / 20, धारा 323.504.327 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक 01.08.2020 को वादी अमित कुमार तिवारी पुत्र पवन कुमार तिवारी नि० लखनऊ रोड पथवलिया थाना को०नगर जनपद गोण्डा के भतीजे को पैसे के लेन – देन को लेकर गाली गुप्ता देते हुए मारा –पीटा था । जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना को०नगर में उक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें को० नगर पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्तों को आज दिनांक 25.08.2020 को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

थाना धानेपुर पुलिस ने अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. लवकुश वर्मा पुत्र साधूराम वर्मा नि० जोगीवीर थाना उत्तरौला जनपद बलरामपुर ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 244 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 25.08.2020 को उ०नि० दिलीप कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । अभियुक्त को थाना धानेपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ०नि० दिलीप कुमार सिंह ।

02. उ०नि० दधिबल यादव ।

03. का० अविनाश सिंह ।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. सोनू पासी पुत्र विजय पाल नि0 दलेर नगर मौजा सेमरी कला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद कारतूस 12 बोर ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 176 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 25.08.2020 को उ0नि0 रुदल बहादुर सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में खाना थे मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद कारतूस 12 बोर बरामद हुआ । अभियुक्त को थाना उमरीबेगमगंज में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 रुदल बहादुर सिंह ।

02. हे0का दिलदार अली ।

गैरेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. अजय कुमार पुत्र लालजी नि0 रानीपुरवा जानकी नगर थाना को0नगर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 507 / 20, धारा 3(1) यू0पी0 गैरेस्टर एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा ।

अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 316 / 2018, धारा 380.457.411 भादवि0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा ।

02. मु0अ0सं0- 327 / 2018, धारा 380.457.411 भादवि0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा ।

03. मु0अ0सं0- 342 / 2018, धारा 401 भादवि0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा ।

संक्षिप्त विवरण-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राजकरन नय्यर ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था ।

जिसके क्रम में थाना को0नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर उक्त वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 नीरज कुमार सिंह ।

02. उ0नि0 मुकेश कुमार पाण्डेय ।

03. का0 अंजय पटेल ।

04. का0 अंशुमान ।